संख्या-2/2016/1112/अइतीस-5-16-16सम/2016

प्रेषक,

पी0एन0त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2016

विषयः आर्सेनिक एवं फलोराइड प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 1160/डब्लू-409 (करिसपाडेन्स) / 2016, दिनांक 26 फरवरी, 2016 एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत आदेश संख्या- 44(1) /2015-1500, दिनांक 16 मार्च, 2016, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2015-16 में नीति आयोग, भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार आर्सेनिक एवं फलोराइड प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु प्राप्त धनराशि रू 1339.00 लाख (रूपये तेरह करोड़ उन्तालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 13 में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि में से निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 1339.00 लाख (रूपये तेरह करोड़ उन्तालीस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन है:-

I. धनराशि का व्यय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत आदेश संख्या- 44(1) /2015-1500, दिनांक 16 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
II. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
III. वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-13 के 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूॅजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-06-आर्सेनिक एवं फलोराइड से प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति (100%केन्द्र पोषित) -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा इसी अनुदान संख्या के लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूॅजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-04-बुन्देलखण्ड एवं बिन्ध्य क्षेत्र हेतु सर्फेस सोर्स आधारित ग्रामीण पेयजल योजना -24-वृहत् निर्माण कार्य की बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

http://Shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2- 591 /दस-2016, दिनांक 24 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 2/2016/ 1112 (1)/अड्तीस-5-16, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003।
2. सलाहकार (ग्रामीण विकास) नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
4. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in